न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/224

1. बाबूलाल उम्र 35 वर्ष पुत्र रामजीलाल
2. घासीराम उम्र 75 वर्ष पुत्र ईशरा
   जाति गुर्जर निवासी हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा तहसील लवाण जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामकरण उम्र 60 वर्ष पुत्र भौरीलाल
2. जयसिंह उम्र 35 वर्ष पुत्र भौरीलाल
3. राजेश उम्र 25 वर्ष पुत्र भौरीलाल
   समस्त जाति गुर्जर निवासी हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा तहसील लवाण, जिला दौसा।
4. उगन्ता पुत्री भौरीलाल पत्नि रामकिशन जाति गुर्जर निवासी बडोदया तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।
5. केशन्ता पुत्री भौरीलाल पत्नि हंसराज जाति गुर्जर निवासी चावण्डेडा तहसील दौसा जिला दौसा।
6. गीता पुत्री भौरीलाल पत्नि बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी रूपाहेडा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।
7. पटवारी हल्का माण्डेडा सुनारपुरा, तहसील लवाण जिला दौसा।
8. गिरदावर हल्का रजवास तहसील लवाण।
9. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लवाण, जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार लवाण दिनांक 08.10.2024 जो प्रार्थना पत्र 135(2) प्रार्थना पत्र संख्या 1/2024 अनुवानी बाबूलाल बनाम रामकरण पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री विजय सिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री योगेश कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 6 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगा0 9 की ओर से।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/225

1. बाबूलाल उम्र 35 वर्ष पुत्र रामजीलाल
2. घासीराम उम्र 75 वर्ष पुत्र ईशरा
   जाति गुर्जर निवासी हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा तहसील लवाण, जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामकरण उम्र 60 वर्ष पुत्र भौरीलाल
2. जयसिंह उम्र 35 वर्ष पुत्र भौरीलाल
3. राजेश उम्र 25 वर्ष पुत्र भौरीलाल
   समस्त जाति गुर्जर निवासी हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा तहसील लवाण, जिला दौसा।
4. उगन्ता पुत्री भौरीलाल पत्नि रामकिशन जाति गुर्जर निवासी बडोदया तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।
5. केशन्ता पुत्री भौरीलाल पत्नि हंसराज जाति गुर्जर निवासी चावण्डेडा तहसील दौसा जिला दौसा।
6. गीता पुत्री भौरीलाल पत्नि बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी रूपाहेडा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।
7. पटवारी हल्का माण्डेडा सुनारपुरा, तहसील लवाण, जिला दौसा।
8. गिरदावर हल्का रजवास तहसील लवाण।
9. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलंदार लवाण, जिला दौसा।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार लवाण दिनांक 08.10.2024 जो नामान्तकरण संख्या 431 ग्राम हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1 श्री विजय सिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलान्ट।

2 श्री योगेश कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 6 की ओर से।

3 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगा0 9 की ओर से।

निर्णय

दिनांक – 23.12.2024

1. यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लवाण के निर्णय दिनांक 08.10.2024 तथा नामान्तकरण संख्या 431 ग्राम हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा पर पारित निर्णय दिनांक 08.10.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। दोनों प्रकरणों में तथ्य, पक्षकार एवं निर्धारण योग्य बिन्दु एक समान है। अतः इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष अपीलान्ट बाबूलाल व घासीराम द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) रा.अ.कृ.भू.आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिस पर जिला कलेक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 02.12.2022 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 09.07.1963 के द्वारा ग्राम हरियाणा स्थित आराजी खसरा नम्बर 83 में से 11 बीघा भूमि का अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश यथावत रखा गया। प्रथम प्रकरण में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत तहसीलदार लवाण द्वारा जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 02.12.2022 की पालना में निर्णय दिनांक 08.10.2024 पारित किया गया तथा द्वितीय प्रकरण में तहसीलदार लवाण द्वारा धारा 135(2) में किये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नामान्तकरण संख्या 431 दिनांक 08.10.2024 को स्वीकृत किया गया।

3. तहसीलदार लवाण, जिला दौसा ने प्रकरण 135 (2) में किये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2024 एवं उक्त निर्णय दिनांक 08.10.2024 की पालना में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 431 ग्राम हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा से व्यथित होकर अपीलान्टस बाबूलाल पुत्र रामजीलाल वगै0 द्वारा यह अपील स्वीकार करने एवं तहसीलदार लवाण, जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2024 एवं उक्त निर्णय की पालना में दिनांक 08.10.2024 को स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 431 ग्राम हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.04.2024 में अंकित तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जॉच किये व बिना रेस्पोडेन्ट को तलब किये एवं अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के साक्ष्य लिये बिना तथा बिना पटवारी हल्का व गिरदावर को साक्ष्य में तलब किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है। भौरया पुत्र मूल्या व भौरया पुत्र चंदा दोनों अलग अलग व्यक्ति थे भौरया पुत्र चंदा की विरासत का नामान्तकरण संख्या 473 दिनांक 18.01.2021 को रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगा0 6 के नाम तस्दीक किया गया और तत्समय पटवारी हल्का ने भौरया पुत्र मूल्या का नामान्तकरण के संबंध में आवेदन खारिज कर दिया। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगा0 6 भौरया पुत्र चंदा के वारिस थे ना कि भौरया पुत्र मूल्या के, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने भौरया पुत्र मूल्या का नामान्तकरण भौरया पुत्र चंदा के वारिसान के नाम सही भरना मानकर निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। मूल्या व चंदा भाई है, यह किसी भी रिकार्ड से सिद्ध नहीं है तथा भौरया पुत्र चंदा मूल्या के गोद जाना सिद्ध भी नही था और ना ही गोदपुत्र था जो रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत कागजातों से भली भांति

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

सिद्ध था। मौके पर अपीलान्ट व अपीलान्ट के परिवार का कब्जा है अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे की जांच किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कतई सिद्ध नहीं था कि भौरया पुत्र मूल्या जीवित है या नहीं और ना ही किसी न्यायालय ने भौरया पुत्र मूल्या की मृत्यु के सम्बन्ध में अवधारणा सिद्ध की है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट ने भी भौरया पुत्र चंदा व भौरया पुत्र मूल्या को अलग अलग बताया है। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण को तस्दीक करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय यह लिखकर पारित किया है कि मूल्या पुत्र श्योनारायण जो कि चंदा का भाई था जिसने भौरया पुत्र चंदा को गोद ले लिया था। मूल्या के द्वारा गोद लेने पर भौरया ने आवंटन के वक्त वल्दियात में चंदा की बजाय मूल्या दर्ज करवा दिया। जिसके कारण भौरया की वल्दियत चंदा के बजाय मूल्या के दर्ज हो गयी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भौरया पुत्र चंदा, मूल्या पुत्र श्योनारायण का भाई होना सिद्ध नहीं था। यदि मूल्या व चंदा भाई होते तो श्योनारायण की विरासत का नामान्तकरण दोनों के नाम खुलता किन्तु श्योनारायण की विरासत का नामान्तकरण अकेले चंदा के नाम खोला गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने मूल्या व चंदा को भाई मानकर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भौरया को मूल्या द्वारा गोद लेना मानकर एवं भौरया पुत्र मूल्या के नाम अलोटमेन्ट होना मानकर उक्त निर्णय पारित किया है। यदि भौरया पुत्र चंदा, मूल्या का गोद पुत्र होता तो चंदा की विरासत का नामान्तकरण जो सन 2023 में खुला है वो नहीं खुलता और ना ही भौरया मूल्या के गोद जाता। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन के वक्त भौरया के पिता का नाम चंदा के बजाय मूल्या अंकित होना मानकर निर्णय पारित किया हैं। भौरया पुत्र चंदा उस समय भूमिहीन भी नही था उसे आवंटन भी नहीं हो सकता था और फर्जी नाम से आवंटन भी नहीं करा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मृत्यु प्रमाण पत्र पेश हुआ था वह भौरया पुत्र चंदा की मृत्यु का पेश हुआ था, भौरया पुत्र मूल्या की मृत्यु का कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं हुआ था किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने भौरया पुत्र मूल्या की मृत्यु होना मानकर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भौरया पुत्र मूल्या व भौरया पुत्र चंदा के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से दोनों अलग–अलग व्यक्ति सिद्ध थे। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों को एक ही व्यक्ति मानकर निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। भौरया पुत्र चन्दा, मूल्या का कतई गोद पुत्र नहीं था।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कथन किया कि रेसपोडेन्ट नंबर 1 लगा0 6 भौरीलाल पुत्र चंदा के वारिस है, भौरया पुत्र मूल्या के वारिस नहीं। भौरीलाल पुत्र चंदा व भौरया पुत्र मूल्या दोनों अलग–अलग व्यक्ति है। उक्त भूमि पर कभी भी भौरीलाल पुत्र चंदा या रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगा0 6 का कब्जा नहीं रहा है। भौरया पुत्र मूल्या लावारिस व्यक्ति है जिसकी मृत्यु भी हुई है या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। भौरया पुत्र मूल्या गॉव छोड़कर कहीं चला गया और ना ही उसका कोई अता पता है। कानूनन जब तक भौरया पुत्र मूल्या की मृत्यु नहीं हो गयी हो और मृत्यु बाबत कोई प्रमाण पत्र नहीं बन गया हो या इसकी जॉच किये बिना तथा न्यायालय द्वारा भौरया पुत्र मूल्या की मृत्यु की अवधारण तय नहीं कर दी जावे तब तक भौरया पुत्र मूल्या को मृत नहीं माना जा सकता है। जब तक भौरया पुत्र मूल्या को मृत नहीं मान लिया जावे व भौरया पुत्र मूल्या का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन जावे तथा सक्षम न्यायालय द्वारा भौरया पुत्र मूल्या के वारिस घोषित नहीं कर दिये जावे तब तक भौरया पुत्र मूल्या के नाम की कृषि भूमि का किसी के भी नाम नामान्तकरण नही खोला जा सकता है और ना ही पटवारी, गिरदावर तथा तहसीलदार को नामान्तकरण खोलने का अधिकार है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण दिनांक 08.10.2024 जो मुकदमा नंबर 1/2024 उनवान बाबूलाल बनाम रामकरण एवं दिनांक 08.10.2024 जो नामान्तकरण संख्या 431 ग्राम हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 6 की और से अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) की अपील न्यायालय हाजा में की गयी थी, जो दिनांक 25.04.2023 को लोकस स्टेन्डाई पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

खारिज हो गयी थी तथा सिविल न्यायालय दौसा द्वारा दिनांक 02.12.2023 को स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। मूल्या चन्दा का भाई था। मूल्या नाऔलाद फौत हो गया तो उसके भाई व बच्चों के नाम नामान्तकरण खुल गया। तहसीलदार लवाण के यहाँ इस विवादित भूमि का अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण खोलने की जो कार्यवाही तहसील में चल रही थी, उसके विरूद्ध स्थानान्तरण याचिका पेश की थी, जिसमें दिनांक 25.08.2023 को जिला कलक्टर दौसा द्वारा प्रार्थीगण की स्थानान्तरण याचिका का निर्णय करते हुए उनका प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है व तहसीलदार लवाण को नैसर्गिक सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए प्रश्नगत नामान्तरकरण को तस्दीक किये जाने से पूर्व प्रार्थीगण को सुनवाई, साक्ष्य एवं सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रश्नगत भूमि पर पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त रजवास व तहसीलदार लवाण की रिपोर्ट दिनांक 13.6.2022 के अनुसार भौरया के पिता का नाम चंदा था। ग्रामवासियों ने भौरया पुत्र चन्दा को मूल्या पुत्र श्योनारायण, जो कि चंदा का भाई था, ने भौरया को गोद ले लिया था लेकिन वर्तमान में रजिस्टर्ड गोदनामा नहीं है। मूल्या के द्वारा गोद लेने के कारण भौरया ने आवंटन में वल्दियत चंदा के बजाय मूल्या दर्ज किया जिसके कारण भौरया की वल्दियत चंदा के बजाय मूल्या के दर्ज हो गई। चूंकि भौरया चंदा का पुत्र था जिसके कारण सभी राजकीय दस्तावेजों में चंदा दर्ज होने से मृत्यु प्रमाण पत्र भी भौरया पुत्र चंदा के नाम से बना है। भौरया पुत्र मूल्या नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। भौरया पुत्र मूल्या व भौरया पुत्र चन्दा एक ही व्यक्ति हैं। भौरया पुत्र चन्दा की विरासत पूर्व में दर्ज हो चुकी है, जो लाडा देवी पत्नि व जयसिंह, रामकरण, राजेश कुमार पुत्र केसन्ता, उगन्ता, गीता पुत्री के नाम दर्ज हुआ है। अपीलान्ट ने प्रश्नगत भूमि पर कब्जा होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट को वर्ष 1963 में भूमि आवंटन की गयी थी। अपीलांट ने 58 वर्ष बाद जिला कलक्टर दौसा के यहां दिनांक 9.5.2022 को आवंटन निरस्त कराने हेतु अपील प्रस्तुत की गयी है। जिसे जिला कलक्टर ने निर्णय दिनांक 02.12.2022 द्वारा खारिज कर दी गयी। तहसीलदार लवाण, जिला दौसा द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2024 पारित किया गया है, वो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगा0 9 की ओर राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लवाण जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि भौरया पुत्र मूल्या जिसके नाम आवंटन हुआ था उस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है तथा भौरया पुत्र मूल्या व भौरया पुत्र चन्दा एक ही व्यक्ति है। ऐसे में यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि जो आवंटन भौरया पुत्र मूल्या की वल्दीयत से हुआ है वह गलत वल्दीयत इन्द्राज होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य प्रतीत होता है। जहाँ तक भौरया के चन्दा के गोद चले जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। तहसीलदार द्वारा इस तथ्य के भी जाँच नहीं की गई है कि श्योनारायण के कितने विधिक वारिस थे एवं श्योनारायण का नामान्तकरण किस-किस के नाम खोला गया है तथा चन्दा की विरासत का नामान्तकरण किस-किस के नाम खोला गया है। यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि एक बार जब भौरया मूल्या के गोद चला गया तो पुनः चन्दा का वारिस किस प्रकार तथा किन कारणों से बन गया है। भौरया की वल्दीयत में बार-बार परिवर्तन होने से प्रकरण संदेहास्पद प्रतीत होता है तथा आवंटन हेतु कूटरचना किये जाने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार चूंकि भूमिधारक होता है। इसलिये तहसीलदार का यह दायित्व भी है कि यदि आवंटन में कोई संदेह अथवा कूटरचना जाहिर होती है तो जाँच कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें किन्तु प्रकरण में तहसीलदार लवाण द्वारा इस सम्बन्ध में अपने निर्णय में कोई विवेचनात्मक एवं निष्कर्षात्मक टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। उपरोक्त के आलोक में तहसीलदार लवाण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.10.2024 एवं उक्त निर्णय दिनांक 08.10.2024 को स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 431 ग्राम हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लवाण को इन निर्देशों के साथ पुन प्रेषित किया जाता है कि सर्वप्रथम इस तथ्य को निर्णित किया जाये कि क्या आवंटन आदेश में वल्दीयत गलत अंकित होने के कारण आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है अथवा नहीं तथा यदि शून्य है तो क्या विवादित आराजीयात को पुन राजकीय घोषित किया जाकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा सकता है अथवा नहीं ? अन्यथा की स्थिति में प्रकरण में गहन एवं विस्तृत जॉच की जाकर निष्कर्षात्मक एवं विवेचनात्मक निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार लवाण द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.10.2024 एवं उक्त निर्णय दिनांक 08.10.2024 को स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 431 ग्राम हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लवाण को इन निर्देशों के साथ पुन प्रेषित किया जाता है कि सर्वप्रथम इस तथ्य को निर्णित किया जाये कि क्या आवंटन आदेश में वल्दीयत गलत अंकित होने के कारण आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है अथवा नहीं तथा यदि शून्य है तो क्या विवादित आराजीयात को पुनः राजकीय घोषित किया जाकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा सकता है अथवा नहीं ? अन्यथा की स्थिति में प्रकरण में गहन एवं विस्तृत जॉच की जाकर निष्कर्षात्मक एवं विवेचनात्मक निर्णय पारित किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर